

राजस्थान सरकार

## राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर

(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)

E-mail: [ranciaipur2012@gmail.com](mailto:ranciaipur2012@gmail.com)

दूरभाष: 0141-2796295

क्रमांक: लेखा 3/रा.आ.न.प./विज्ञप्ति/2021/1184

दिनांक:- 12.11.2022

श्रीमान् निदेशक महोदय,  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग  
राजस्थान, अजमेर।


विषय :- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में DAN&P पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ आयोजित की जाने वाली रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) दिनांक 17-11-2022 व रिकाउंसलिंग 18-11-2022 की सूचना वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में DAN&P पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ आयोजित की जाने वाली रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) दिनांक 17-11-2022 व रिकाउंसलिंग 18-11-2022 की सूचना निदेशालय, आयुर्वेद विभाग राज. अजमेर की वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करावें।

संलग्न :- विज्ञप्ति मय अनुदेश।

भवदीय



(डॉ. सुन्दर लाल जोशी)

रजिस्ट्रार

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल  
जयपुर

## फीस के नियम

यह सहमति पत्र भरकर मूल प्रमाण पत्र के साथ रिकाउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा

1. रिकाउंसलिंग के समय प्रत्येक विद्यार्थी को "रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम 10,000/रूपये (अक्षरे: दस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने पर ही उसकी सीट सुरक्षित मानी जावेगी।
2. प्रवेश के बाद फीस की राशि का शेष भाग दिनांक 23-11-2022 तक सम्बन्धित आयुर्वेद नर्सिंग संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा रिकाउंसलिंग के समय जमा की गई 10,000/-की राशि पुनः नहीं लौटायी जायेगी।
3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा रिकाउंसलिंग के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र में फीस जमा नहीं कराई जाती है अथवा फीस जमा कराने के बाद कभी भी प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो परिषद् कार्यालय में जमा कराई गई राशि रुपये 10,000/-में से कोई भी भाग सम्बन्धित को नहीं लौटाया जायेगा।
4. आयोजित रिकाउंसलिंग के द्वारा, प्रवेश हेतु प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित करने के बाद अभ्यर्थी को दिनांक 19-11-2022 से 23-11-2022 तक सम्बन्धित आवंटित आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, में रिपोर्टिंग करनी होगी तथा शेष फीस आवंटित आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, में जमा करवाना अनिवार्य भी होगा उक्त अवधि में सम्बन्धित संस्था में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करवाने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर एवं राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र, पूंजला, जोधपुर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संस्था में अपना प्रवेश सुनिश्चित कराने हेतु रिकाउंसलिंग के समय परिषद् में अग्रिम के तौर पर जमा राशि 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त संस्था को निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

### घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....

घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने फीस जमा कराने एवं लौटाने सम्बन्धी उपरोक्त नियमों को पूर्णतया पढ़ लिये हैं तथा मैं इनका पालन करने के लिये सहमत हूँ।

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

(नाम.....)  
(वरियता क्रमांक .....

राजस्थान सरकार  
**राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर**  
(आयुष भवन, कमरा नं0 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)  
E-mail: rancjaipur2012@gmail.com दूरभाष नं-0141 2796295

क्रमांक : 1183

दिनांक: 12.11.2022


**विज्ञप्ति**

**डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मैसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग की सूचना**

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश हेतु ऑफ लाईन रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग परिषद कार्यालय द्वारा आयुष भवन, सेक्टर-26 प्रताप नगर जयपुर में प्रातः 10:00 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जावेगी।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग
1	डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मैसी (DAN&P)	पूर्व दिनांक 28.10.2022 से 01.11.2022 तक आयोजित काउंसलिंग में प्रवेशित छात्रों की रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) दिनांक 17.11.2022 को होगी पूर्व दिनांक 28.10.2022 से 01.11.2022 तक आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित रहे अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग दिनांक 18.11.2022 को होगी

- रिकाउंसलिंग में भाग लेने हेतु 10,000/-रुपये का डिमांड ड्रॉफ्ट जो "रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम देय हो, साथ लाना आवश्यक होगा या नकद राशि 10,000/-रुपये, आवेदन के साथ प्रस्तुत करे। प्रवेश लेने के बाद यह शुल्क रिफन्डेबल नहीं होगा।
- रिकाउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज मय छांया प्रति साथ लाने होंगे।
- आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।
- SC/ST/OBC/MBC/TSP/EWS कटेगरी का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार स्वीकार्य होगा।
- अन्य सूचना निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान-अजमेर की वेबसाईट <http://ayurved.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।



(रजिस्ट्रार)